

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर — 302018 Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website: www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Tel.: 0141-2722520

क्रमांक:- पं0 03(40)R.S.S.B/स्टोर/Stationery/2019-20/258

जयपुर, दिनांक: 16.01-2020

खुली निविदा सूचना (2019-20/14)

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं कार्यालय के जपयोग हेतु निम्नानुसार स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी एवं अन्य कार्यालय उपयोगी सामग्री के क्रय के लिए वार्षिक अनुबंध दर संविदा हेतु पंजीकृत अनुभवी फर्मी/राजकीय कार्यालयों में सेवा प्रदाता फर्मी से निर्धारित प्रपत्र पर सीलबंध निविदाएँ आमंत्रित की जाती है:-

विवरण	अनुमानित राशि (लाख मैं)	योली प्रतिभूति राशि (रु.में)	विड प्रपत्र उपलब्ध होने की दिनांक एवं प्रपत्र मृत्य	बिंड प्राप्ति की अंतिम दिनांक य समय	बिंड खोलने की तिथि य समय
स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी एवं अन्य कार्यालय उपयोगी सामग्री	7.00	14,000	दि.16.5.1.2.620 रुपये 400/-	दि दें भू .01,7०५० मध्याह्न पश्चात १:०० तक	दि २५ को, २०२१ मध्याह्न पश्चात 3:00

बिड प्रपत्र एवं शर्ते www.rsmssb.rajasthan.gov.in एवं http:Sppp.raj.nic.in पर भी उपलब्ध है। वेबसाईट से डाउनलोड किये गए प्रपत्र की स्थिति में बिड शुल्क रू. 400/— का बैकर्स चैक/डी.डी. एवं बोर्ड कार्यालय से खरीदे गये प्रपत्र की स्थिति में नगद जमा रसीद संलग्न करना आवश्यक हैं। सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम देय, डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक चेक के माध्यम से निविदा शुल्क रोकड़ शाखा में जमा करवाकर, प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता हैं एवं बोली प्रतिभृति राशि जमा की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र डाक से मंगवाने पर डाक खर्च रूपयें 50/— अलग से देय होगा।

(डॉ. मुक्ट्र बी.जांगिड) सचिव



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर - 302018 ·Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur - 302018

Website: www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel.: 0141-2722520

बिरू प्रपन्न नं : सुनी निविद्धा सूत्रना (२०१०-२०/ विड जमा कराने की अतिम तिथि . अपराचा . ३०० तम

विजयपञ्च सा गुल्य ४०० /-

तकनीकी निविदा

	वैंक का नामः
शाखा का नाम	IFSC Code :
किसको संबोधित की गई : सचिव,राजस्थान	कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
सदर्भ – निविदा सूचना संख्या : 2019–20	/ दिनांक :
बिड शुल्क की राशि 400/- (फ. चार सी	मात्र) नकद रसीद संख्या
. डी.डी./बैंकर्स चैंक संख्या	के द्वारा जमा करा दी गयी है/संलग्न है। राज्य लोव
उपापन पोर्टल से बिड प्रपत्र डाउनलोड	करने पर बिंड शुल्क की राशि पृथक से डी.डी. / बैंकर्स चैक द्वार
भुगतान की जानी है।	
हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर	द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना 2019-20 /दिनांक
में वर्णित सभी शतों से तथ	।। संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शतों
बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी	पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने व
प्रमाणमें हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।	
कम होरा आदश प्राप्त करन के दिनाक र	से आदेश में जल्लेखित अवधि के भीतर (3 दिवस) माल की सुपुर्दर
बोर्ड कार्यालय में की जानी आवश्यक है।	All 9 March
बोर्ड कार्यालय में की जानी आवश्यक है। वित्तीय निविदा में उद्धृतकी गयी दरें अनुबं	ध की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि क
बोर्ड कार्यालय में की जानी आवश्यक है। वित्तीय निविदा में उद्धृतकी गयी दरें अनुबं पारस्परिक सहमति के आधार परRIPPनियम	ध की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि व सनुसार बढायाजा सकेगा।
बोर्ड कार्यालय में की जानी आवश्यक है। वित्तीय निविदा में उद्धृतकी गयी दरें अनुबं पारस्परिक सहमति के आधार परRTPPनियम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या	जो बैंक का नाम
बोर्ड कार्यालय में की जानी आवश्यक है। वित्तीय निविदा में उद्धृतकी गयी दरें अनुब पारस्परिक सहमति के आधार परRTPPनियम बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक संख्या गया है। रू. 14,000 / – के लिये विडप्रतिम्	ध की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि व सनुसार बढायाजा सकेगा। जो बैंक का नामपर आहरित किय पूर्ति राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
बोर्ड कार्यालय में की जानी आवश्यक है। वित्तीय निविदा में उद्धृतकी गयी दरें अनुबं पारस्परिक सहमति के आधार प्रRIPPनियम बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैंक संख्या गया है। रू. 14,000 / – के लिये बिडप्रतिम् GSTनियमों के अन्तर्गत पंजीयन स	ध की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि व अनुसार बढायाजा सकेगा। जो बैंक का नामपर आहरित किय पूर्ति राशि के पेटे संलग्न किया जाता है। पेन नंबर
बोर्ड कार्यालय में की जानी आवश्यक है। वित्तीय निविदा में उद्धृतकी गयी दरें अनुबं पारस्परिक सहमति के आधार परRTPPनियम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक संख्या गया है। रू. 14,000/- के लिये बिंडप्रतिम् GSTनियमों के अन्तर्गत पंजीयन सं, राजकीय विभागों तथा स्वायतशासी संस्था	ध की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि व अनुसार बढायाजा सकेगा। जो बैंक का नामपर आहरित किय पूर्ति राशि के पेटे संलग्न किया जाता है। पेन नंबर
बोर्ड कार्यालय में की जानी आवश्यक है। वित्तीय निविदा में उद्धृतकी गयी दरें अनुबं पारस्परिक सहमति के आधार प्रस्तागिनिया बैंक ड्राफ्ट वैंकर्स चैक संख्या गया है। रू. 14,000/- के लिये विडप्रतिम् GSTनियमों के अन्तर्गत पंजीयन सं राजकीय विभागों तथा स्वायतशासी संस्था संलग्न करें)	ध की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि क जनुसार बढायाजा सकेगा। जो बैंक का नामपर आहरित किय पूर्ति राशि के पेटे संलग्न किया जाता है। पेन नंबर की प्रति संलग्न है। ओं में स्टेशनरी आपूर्ति का अनुभव का विवरण (कार्यादेश की छायाप्रति
बोर्ड कार्यालय में की जानी आवश्यक है। वित्तीय निविदा में उद्धृतकी गयी दरें अनुबं पारस्परिक सहमति के आधार परRTPPनियम बैंक ड्राफ्ट/बेंकर्स चैक संख्या गया है। रू. 14,000/- के लिये बिडप्रतिम् GSTनियमों के अन्तर्गत पंजीयन सं, राजकीय विभागों तथा स्वायतशासी संस्था	ध की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि व जनुसार बढायाजा सकेगा। जो बैंक का नामपर आहरित किर पूर्ति राशि के पेटे संलग्न किया जाता है। पेन नंबर की प्रति संलग्न है ओं में स्टेशनरी आपूर्ति का अनुभव का विवरण (कार्यादेश की छायाप्रा

12. बिंड शुल्क एवं बोली प्रतिभृति राशि जमा/संलग्न नहीं होने पर बिंड पर विचार नहीं किया जायेगा। 13. बिंडवाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिंड को अस्वीकृत करने / शर्त को अमान्य करने का अधिकार बीर्ड का होगा।

> निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर — 302018 Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website: www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel.: 0141-2722520

खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा शर्तें

**टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफें में बंद करना चाहिए।"तकनीकी निविदा" और "वित्तीय निविदा" के अलग — अलग सीलबंद लिफाफों को एक तीसरे बड़ें लिफाफे में रखकर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा। तीसरे लिफाफे पर"Rate Contract for Stationary for Office use and Examination" के लिये निविदा लिखना अनिवार्य होगा।

"वास्तिवक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदारों":—निविदायें Services(सेवाओं) के पंजीकृत अनुभवी
फर्मों /राजकीय कार्यालयों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वै अंत में उल्लेखित विवरणानुसार एक घोषणा
प्रस्तुत करेंगे।

 (क) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को

मुक्त नहीं किया जावेगा।

(ख) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के देकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, तब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ती स्वीकृ ती के लिए देकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की स्सीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. GST (माल एवं सेवा कर) पंजीयन:—कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, GSTअधिनियम के अन्तर्गत् पंजीकृत होना चाहिए तथा GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया

जाना चाहिये। साथ ही डीलर को पेन नंबर अवश्य देने होंगे।

5. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं / या उपिरलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघुहरताक्षर किये जाने चाहिये। शब्दों व अंकों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में अंकित दरों को प्रस्तावित दर माना जावेगा। दरों में राजरथान विक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि जो पृथक से दिखाना चाहिये।

7. दरें गन्तव्य स्थान तक (एफ.ओ.आर.)चढ़्तकी जानी चाहिए तथा उसमें सभी कर प्रभारों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलें में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सूप्र्वंगी क्रेता

अधिकारी के परिसरों पर दी जावेगी।

8. विधि मान्यता-निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

9. अनुमोदित प्रदायकर्ता (संप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की शर्ता, विनिर्देशों, आकार, मेक, रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

- 10 निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सींपेगा या उप—भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
- 11. विनिर्देश :--
 - (क) प्रदाय की गयी सभी वस्तुए निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन भदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।
 - ii. निविदा में अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलें में, जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हों. वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी ∕ क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुऐं विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हों. के अनुसार हैं, क्या वे सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की हैं. किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिये बाध्यकारी होगा।
 - वारंटी / गारंटी खण्ड:- निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल / सामान / वस्तुएँ खरीदे जाने iii. वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपूर्दगी के दिनांक से एक माह की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों / सामानों / वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं / या उन्हें अनुमोदित कर दिया है. यदि एक माह की उक्त अवधि में उक्त मालों / सामानों / वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं(तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों / सामानों / वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाये, रदद करने का हकदार होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/सामान/वस्त्यें विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रदद करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाये तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं डालेगी।
 - iv. मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किये गये अनुसार गारंटी दी जायेगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अविध में पुजों, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अविध में वैसा पाया जाये, तािक मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाऐं कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।
 - v. क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाये, वार्षिक रख रखाव (मेंटीनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिये आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिये भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिये उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

12. निरीक्षण :-

i. क्रैता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाये, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों / उपकरणों / मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी। ii. निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशॉप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिये सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नये प्रविद्ध हुये हैं, अपने

वैंकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

13. नमूनें :—वितीय निविदा में अंकित बरतुओं की निविदाओं के साथ उद्यित रूप से पैक की गयी निविदत्त बरतुओं के नमूने प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिये रसीद दी जायेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिये तथा आर/आर या जी,जार, एक पृथक् रिजस्टर्ड लिफाफें द्वारा भेजी जानी चाहिए। सामग्री के नमूने नियमानुसार निर्धारित नोर्मस के प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिये।

14. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जायेंगे।

15. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छ माह की अविध तक नि:शुल्क रखा जायेगा। इस अविध में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, दूट—फूट, हानि के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अविध की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जायेगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अविध के बाद यदि 9 माह की अविध के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहत (Forefeit) कर लिया जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिये कोई क्लेम खीकार नहीं किया जायेगा।

16. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को इकट्ठा किया जायेगा। जिस अविध में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जांच आदि कें दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट या हानि के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमुने वापस नहीं लिये जायेंगे उन्हें समप्रहत किया

जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिये किसी भी दावें को खींकार नहीं किया जायेगा।

17. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा, उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमुनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहोंएवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जायेगा तथा जहां पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जायेगा, उन्हें रवीकार किया जायेगा।

18. नमूने निकालना :-परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिये जायेंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जायेगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जायेगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जायेगा तथा तींसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिये कार्यालय में प्रतिधारित किया जायेगा।

- 19. परीक्षण प्रभार :—परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
- 20. रदद करना :
 - i. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुयें अनुमोदित नहीं की जायेंगी उन्हें रदद किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रोता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।
 - ii. तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाये, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

क्र.स. मद मात्रा सुपर्दगी अवधि

- 21. रदद की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रदद करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझें, बेबने का अधिकार होगा।
- 22 निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान हारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षित न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षित दूटफूट या रिसाव (लीकेंज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच / निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी, ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत खीकार नहीं की जायेगी।
- 23. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

24. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

25. (1) सुपुर्दगी अवधि : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाये, सचिव, बोर्ड द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगाः

(2)परिमाण (Quantity) में परिवर्तन का अधिकार :-

- (1)यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्टपरिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगी।
- (2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिये पुनरादेश. यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालाविध भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी :--
 - संकर्मी (Works)की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत , और

ii. मूल संविदा के माल (Goods) या सेवाओं (services)के मूल्य का 50 प्रतिशत।

(3) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का कलेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

26. बोली प्रतिभूति राशि :

- 1. खुली प्रतियोगी बोली, द्वि—प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.5% होगो और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनिर्माण बोर्ड के समक्ष लिखत है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रिजस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले प्रत्येक वोली लगाने वाले से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा—विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभृति देने की अपेक्षा की जायेगी।
- 2. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रिजस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
- बोली प्रतिभूति लिखित या बोली प्रतिभूति की नकद रसींद या बोली प्रतिभूत करने की घोषणा आवश्यक रूप से मुहरवंद बोली के साथ होगी।

4. उपापन संख्या के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिये बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायग। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आगंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

5. दोली प्रतिभृति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय झाफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या ई—ग्रास(egras)के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेंगी। बोली प्रतिभृति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालाविध से तीस दिन आगे

तक विधिमान्य रहनी चाहिये।

6. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभृति का निर्गामी और बोली प्रतिभृति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभृति का प्रारूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिये। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी योली की दशा में, बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभृति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

7. यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित विर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिये उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से

प्रत्युत्तर देगी।

8. बोली प्रतिभृति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिये पात्र नहीं रहा गया है।

 असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ पश्चात् कर

दिया जायेगा।

- 10. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत(Forfeited) कर दी जायेगी, अर्थात :
 - जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है:
 - जब बोली लगाने वाला प्रदाय / संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है:
 - iii. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय / संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है:
 - iv. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है:
 - यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित्त सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपवंध का भंग करता है।
- 11. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या नौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभृति दे देता है।

12. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ पश्चात बीली प्रतिभृति को तत्परता से लौटा

देगी. अर्थात:-

- बोली प्रतिभृति की विधिमान्यता के अवसान पर,
- b. सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभृति देने पर .
- c. उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या

d. बॉली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय—सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि बौली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुजात नहीं किया गया है।

27 (1) करार एवं कार्य संपादन प्रतिभृति(Agreement and Performance Security) :-

 सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्राफ्तप 17 में उसके खर्च पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेंतर स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा निविदा में अंकित अनुमानित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

2 कार्य सम्पादन प्रतिभृति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रिजस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त प्रतिभृति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभृति के उपबंध को शिथिल कर सकेंगी।

उ. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये अनुमानित राशि की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समझ लंबित है, के मामले में यह प्रदाय अनुमानित राशि का दो प्रतिशत होगी।

4. कार्य सम्पादन प्रतिभृति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगीः

i. "ई-ग्रास(egras)के माध्यम से जमा"

ii. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्रापट या बैंकर चैंक.

- iii. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिये राष्ट्रीय बचत एकीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
- किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी / गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्ते बोली प्रतिभृति के लिये नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।
- v. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्निम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि योली लगाने वाला बैंक की और से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित व्याज के साथ समप्रहत कर ली जायेगी।

5. कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालाविध को सिम्मिलित करते हुये बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख़ से परे साठ दिनों की कालाविध के लिये विधिमान्य रहेगी।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नृतिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :—

- जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- b. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा।
 इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

28. (1) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जिर्चे भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हो, तो प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।

(2) आर आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रिजस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिये।

(3) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाडा विभाग द्वारा बहन किया जायेगा। (4) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

29. बीमा :- 🐣

- 1. सामान्य गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी. नाश या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे-युद्ध, विदोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिये।

30 भुगतान :-

- 1. दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल / प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कंप्रनियाँ आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर किया जायेगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिये गये उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिये जाने पर दिया जायेगा।
- जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमित न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित रूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
- विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर विवाद निपटान अनुसार भुगतान कर दिया जायेगा।
- उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा, जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।
- 31. (1) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेंगा तथा सफल निविदादाता क्रंता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
 - (2) परिसमापित नुकसानी (Liquidated damages):-परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्वगी अविध में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नालेखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:- विहित सुपुर्दगी अविध की एक चौथाई अविध तक के विलम्ब के लिये 21/2%

एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के 5% लिये

आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के 7½% लिये

विहत अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये

10%

- प्रदाय में विलम्ब की अविध की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दियाँ जायेगा।
- 2. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
- 3. यदि प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत् माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अविध में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सिहत या रहित की जा सकेगी।

- 32. वसृतियां : परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूटफूट, रदद की गयी वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूटफूट, रदद किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि संप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभृति निक्षेप से की जारोगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
- 33 निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिये।
- 34. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाहीं कर रदद कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
- 35 क्रेंता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये, किसी भी निविदा को रदद करने या जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
- 36. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:--
 - यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिष डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 - 2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
 - 3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर।
 - 4. कंपनी के मामले में कंपनी के रिजस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- 37. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिये एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेंटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 38. इस कार्य से संबंधित सफल निविदाकार को गोपनीयता बनाये रखनी होगी।
- 39. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेंदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
- 40. विड प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं द्वितीय अपील शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को की जा सकेंगी।
- 41. संलग्नक 'ए', 'बी', 'सी',- 'डी' एवं 'एफ' इस निविदा का भाग होंगा। संलग्नक 'बी' के अनुसार निविदादाता द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।
- 42. मैनें सभी शर्तों को अध्ययन कर लिया है एवं रवीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with ann intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

- A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.
- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including buy not limited to:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - receive or have received any direct or indirect subsidy form any of from of them;
 or
 - have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In rela	tion to my/our Bid submitted tofor procurement of
In res	ponse to their Notice Inviting Bids NoDated1/we hereby declare
under	Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012 that;
12	I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and
	competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2	I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the
	State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3.	I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our
	affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities
792	suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4.	I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal
	offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or
	misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within
5.	I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is	
The designation and address of the Second Appellate Authority is	
(1) Filling an appeal	

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or Prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.
- (5) Form of Appeal
- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.
- (6) Fee for filing appeal
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal
- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parites to appeal present before him; and
 - (ii) persue or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Me	emorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012
Ap	peal No. reserved of
Ве	fore the(First/Second Appellate Authority)
1.	Particulars of appellant:
	(i) Name of the appellant:
	(ii) Official address, if any:
	(iii) Residential address:
2.	Name and address of the respondent (s):
	(i)
	(ii)
	(iii)
3.	Number and date of the order appealed against
	And name and designation of the officer/authority
	Statement of a decision, action or omission of
	The procuring Entity in contravention to the provisions
	Of the Act by which the appellant is aggrieved:
4.	If the Appellant Proposes to be representative:
5.	SMP IN S COLUMN
6.	Ground of appeal:
	(Supported by an affidavit)
7.	Prayer:
	Trayers

	NY STATE OF THE ST
	Place
	Date
	Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- iii if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii.if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (ii) In cased of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance

supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने जिन <u>मालों / स्टोर्स / उपकरण</u> के लिए निविदा दी है, उनका / मैं / हम बोनाफाईड / थोक विक्रेता / सोल विवरक / प्राधिकृत डीलर / सोल <u>सेलिंग</u> / विपणन एजेण्ट हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, मेर / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जाए।

> निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम :--

पूर्ण पता :--

टेलिफोन नः

फर्स का नाम :	
司书:	म्
司书:	8
	1
	-4
	1
1	

(कंपनी के लैटर हैड पर प्रस्तुत किया जावे)

सचिव, राजस्थान कर्मचारीचयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर

वितीय निविदा प्रपत्र

Rate Contract for Stationary for Office use and Examination के लिये निविदा

निविदा सूराना संख्या के क्रम में हमारी दरें निम्नानुसार हैं.-

	2	द्रें(Inclusive of A	दरें(Inclusive of All taxes)(राशि रू. में)	
死.स.	सामग्रा का नाम	अंकों में	शब्दोंमें	विशेष विवरण
	लेखन सामग्री सूची	7		(बाण्ड)/ माडल का नाम
**	Photostate Rim FS size 75 Gsm 500 sheets			ी. ४ अथवा इसके अनुरूप
2	Photostate Rim A4 size75 Gsm 500 sheets			J.K अथवा इसके अनुस्प
(u)	Photostate Rim FS size 70Gsm 500 Color sheets			Good Quality
4	Photostate Rim A4 size70Gsm 500 Color sheets			Good Quality
UI	photstate paper Rim A3 size70Gsm 500 sheets			J.k. अथवा इसके अनुरूप
Ø.	Pokar /borer with steel handle			Good Quality
N.	Plastic Folder Double side Transparent with board Name and Logo Printed (FS Size)			Infinity INF CF914F

Kores Blueअधवा इसके अनुरूप	Carbon Paper (Per pkt 100 paper)
Camlin/Ashokaअथया इसमें अनुरूप	Stamp Padlink 100ml 100Mk
Camin/Ashokaअथवा इसके अनुरूप	Stamp Pad Faber Castell 88*54mm
Good Quality	File Pad file size (32 onus)
Koresअथवा इसके अनुरूप	Correcting whitener Pen
Good Quality	File Tag (per bundle 100 Tag)
924 No.Green	File lace (per Bundle 100 lace)
Camelअथवा इसके अनुरूप	Gum bottle 150ml
Apsara/Natrajअथवा इसके अनुरूप	Pencil
Kangarooअथवा इसके अनुक्रम	Stepler No. 24x6
Kangarooअथवा इसके अनुरूप	Stepler No. 10
Kangarooअध्या इसके अनुक्रम	Stepler Pin No. 24x6
Kangarooअध्या इसके अमुरूप	Stapler Pin No. 10
Good Quality	Big Candle (Per Candle 30 gm)
Good Quality	Allpin cusion (Magnetic)
Dolphin /S. Fineअथवा इसके अनुरूप	Paper waight Plastic(multi colour)
Camlinअधवा इसके अनुज्य	Plastic Scale (30CM) 12"
S/Fine, Sagar अथवा इसके अनुरूप	Permanant Stock Register 320page
S/Fine, Sagarअध्या इसके अनुरूप	Consumable Stock Register 320 page
Jagilam/S. Fine अध्या इसके अनुक्ष	Nepkin
Good Quality	Duster
Sagar अथवा इसके अनुकप	Letter Despatch Register 240pg.
Sagarअथवा इसके अनुरूप	Letter Receipt Register 240 page
Neelgaganअथवा इसके अनुरूप	Slip pad 9"x 6" (80 page)
Neelgagan अथवा इसके अनुरूप	Confrence Pad 40page
Neelgagan अथवा इसके अनुरूप	Note Pad No08, 80pg.
Monderstall see stand	Brown Tape 2

59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	tr	44	43	42	41	40	39	00 00	37	36	S.
Clock Cell	Peon Dairy 240 page	Spiral Pad No. 88, 100 Page	Spiral pad No. 66 40page	Flag pad 3x3	U-Pin pkt. (Plastic Coated)	Pilat Pen v5 shine	Pilot Pen v7 shine	Register (Lined) 180page	Gel pen MRP. 20/-	Gel pen Mrp. 10/-	Gel Pen Mrp. 5/-	Ball pen MRP 20/-	Ball pen MRP 10/-	Ball pen Mrp. 5/-	Brown Tape 1"	Cello Tape 1"	Cello Tape half inch	CD Marker Pen	Highlighter All Color	Fevistick 15gm	A4-Plastic Folder Single side Transprent with board name and logo printed	Sharpner	Eraser	and logo
Novino/Evereadyअथवा इसक	Sagarअध्यबा इसके अनुरूप	Neelgaganअथवा इसके अनुरूप	- Neelgaganअधवा इसके अनुरूप	Colored Desmatअथवा इसके अनुरूप	Zenavai इसके अनुरूप	Pilot	Pilot	S./Fineअथवा इसके अनुरूप	Add Gel अथवा इसके अनुरूप	Add Gel अथवा इसके अनुरूप	Add Gel अथग इसके अनुरूप	Add Gel अथवा इसके अनुरूप	Add Gel अथवा इसके अनुक्रप	Add Gelaधता इसके अनुरूप	Wonderअधवा इसके अनुरूप	Wonderअथवा इसके अनुक्रम	Wonderअधवा इसके अनुरूप	Luxerअथवा इसके अनुरूप	Luxer/Camlinअध्या इसके अनुरूप	Koresअथवा इसके अनुरूप	Rainbow/S.Fineअथवा इसके अनुरूप	Apsaraअधवा इतके अनुरूप	Apsaraअधवा इसके अनुरूप	Sirpur Millagual इसके अनुरूप

Borosil Vision / S.fineअध्या इसक अनुरूप	Water Glass set (Per Set 6 piece) for officers	83
Mitsubishi/S.fineअथवा इसकं अनुरूप	Fax Role 30 meter	82
S.fineअथवा इसके अनुरूप	Chapdi	81
S.fineअथवा इसके अनुरूप	Envelope 11x5 with Matter printed	80
S.fineअथवा इसके अनुसप	Envelope 9x4 with matter Printed	79
S.fineअथवा इसके अनुरूप	Water Pad	78
Natrajअथवा इसके अनुरूप	Medium Paper cutter	77
Good Quality	Red Cloth for file (Cotton)	76
Alloutअथवा इसके अनुरूप	Allout Refill (30 days)	75
Fort 102 no	Table Bell	74
Fiber Sheet	Clip Board Transparent	73
Gemअथवा इसके अनुरूप	Scissor 8"	72
S.fineअथवा इसके अनुरूप	File Size Envelope laminated	77
Craft Laminated/S.fine	File size Envelope(12x16)	70
S.fineअथवा इसके अनुरूप	Register (Lined) 120 page	69
S.fineअथवा इसके अनुरूप	Register (Lined) 240 page	89
Dettolअधवा इसके अनुरूप	Dettol Hand Wash Liquid 200ml.	67
Dettolअधवा इसके अनुरूप	Dettol Soap (Small)	66
Kangaroअथवा इसके अनुरूप	Punching Machine No. 52	65
Kangaroअथवा इसके अनुरूप	Punching Machine Single	6.4
Kangaroअधवा इसके अनुरूप	punching machin No. 800	63
Kangaroअध्या इसके अनुकप	Punching Machine No 600'	62
SAYA SY-Ps04अथवा इसके अनुरूप	Pen stand (Tumbler)	61
omega tille/o.iineअथवा इसक	Pen stand, Big with Holder pen	60
S. S		

S.fineअध्यम् इसके अनुकप	A4 size envelope laminated	109
celloअधवा इसके अनुरूप	Plastic Bucket 20litre	108
Sagar/Rastogisiaया इसके अनुरूप	Pay Posting Register 240pg.	107
Sagar/Rastog।अथवा इसके अनुरूप	Treasury Transit Register 240pg.	106
Sagar /Rastog)अधवा इसके अनुरूप	Bill Register 240pg.	105
Ushaअथवा इसके अनुरूप	Electrical kettle 3315 1 litre	104
S.fineअथवा इसके अनुरूप	packthread (hemp) (सूतनी)	103
S/Fine Sagarअथवा इसके अनुरूप	Attendance Register big for Staff 100 page	102
S.fineअथवा इसके अनुरूप	Tea Coaster	101
S.fineअथवा इसके अनुरूप	Full plate 110 R.C.	100
S.fineअथवा इसके अनुरूप	Quater plate	99
Bombay Dylengअथवा इसके अनुरूप	Towel for Officer chair	86
Rin/Jhalakअथवा इसके अनुरूप	Washing Powder 100gm pouch	97
S.fineअध्या इसके अनुरूप	Rubber Band (Small and big) (Per pkt- 400gm)	96
Celloअथवा इसके अनुरूप	Plastic desktop dusbin (big) 50 litre	95
cello अध्या इसके अनुरूप	Plastic desktop dustbin (Medium)	94
	Socket)	
Klickअध्यद्य इसके अनुरूप	Electrical Ext. Board with five metre Cable (Six pin	93
Collinsखवा इसके अनुरूप	Collin 200 ML	92
Godrejअधवा इसके अनुक्तप	Room Freshner (125gm)	91
HITअधवा इसके अनुरूप	HIT (Black) 320ml.	90
Vimbarअध्या इसके अनुरूप	Vim bar Small	89
Superiorअवम् इसके अनुरूप	Spoon (Per set 6 Piece)	88
Superiorअथवा इसके अनुलप	Service Tray (Big)	87
Celloअधवा इसके अनुक्य	Water jug (2 litre)	86
Good Quality	Tea Cup set with socior (per set 6 piece)	85
Borosii Vision / S.Tineअसमा इसक	Water Glass for staff (Rs. 20)	60

136	135	134	133	Į.	133	13	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110
Foot mate (joot size 4'x2')	cutter big 18mm blade	Clip pin	Fevicol Tube 50gm	Amicales and band to annuer commit	Adhorito ella sad l'Aramatonami	Paper Stand	Paper Tray plastic jalidar	All pin pkt.	poker big with steal handle	Shorthand pencil	Feviquick MRP-5/-	Binder Clip 41mm	Binder Clip 25mm	Rubber Stamp seal (Per line)	Self inked Seal (Per line)	Permanent Marker Bold	Cashbook Big (Govt.) 200pg.	Cashbook Small (Govt.) 200pg	Dr. Pad Slip	Nepkin Stand	Name plate(12"x4")	Reynold Trimax Gold pen	index file normal No. L-549	Index File plastic No. L-S49	Cell for Calculater 12digits (Casio MJ 120)	Calculater 12digits (Casio MJ 120)	Allout Machine with reffils
Good Quality	TRIO/Natrajअथवा इसके अनुरूप	bell make 30mmअथवा इसके अमुरूप	Pediliteअथवा इसके अनुरूप	अनुका	Noolean Maria	Bossअधवा इसके अनरूप	Celloअथवा इसके अनुरूप	Zen / Good Quality	Good Quality	Natraj/Apsraअथवा इसके अनुरूप	Pediliteअथवा इसके अनुरूप	Realoneअध्या इसके अनुरूप	Realoneअथवा इसके अनुरूप	S.fineअथवा इसके अनुरूप	S.fineअथवा इसके अनुरूप	Camlinअथवा इसके अनुरूप	Sagar/Rastogiअपया इसके अनुरूप	Sagar/Rastogiअधवा इसके अनुरूप	Good Quality	Good Quality	S.fineअथवा इसके अनुरूप	Reynold	Good Quality	Good Quality	Casioअथवा इसके अनुरूप	Casioअधवा इसके अनुरूप	Alloutअध्या इसके अनुरूप

Sonyअथवा इसके अनुरूप	CD Case Box Transparent	163
Superiorअध्या इसके अनुरूप	CD cover (plastic) Superior	162
Sonyअध्वा इसके अनुरूप	DVD-RW, 4.7GB-100 pc	161
Sonyअधवा इसके अनुरूप	DVD-R,, 4.7GB-100 pc	160
Sonyअध्या इसके अनुरूप	CD-RW, 700MB-100pc	159
Sonyअधवा इसके अनुरूप	CD-R, 700MB-100pc	158
Technxt/S.fine	USB 3.0 A to 8 Printer Cable (1.5 meter) in Copper	157
Нр	HP M 226dn Cartriage	156
i ball/ Dell अथवा इसके अनुक्व	Key Board	155
i ball/ Dell अथवा इसके अनुरूप	Computer Mouse	154
I ball/ Dell अथवा इसके अनुरूप	Wireless Keyboard	153
l'ball/ Dell अथवा इसके अनुरूप	wireless Mouse	152
Kingston/ अथवा इसके अनुरूप	Pen Drive 128GB Steal Body	151
Kingston/ अथवा इसके अनुरूप	Pen Drive 64GB Steal Body	150
Kingston/ अथवा इसके अनुरूप	Pen Drive 32GB Steal Body	149
Kingston/ अथवा इसके अनुरूप	Pen Drive 16GB Steal Body	148
Kingston/ अधवा इसके अनुरूप	Pen Drive 8GB Steal Body	147
Good Quality	Hanger	146
Anchor/S.fine	Plastic Self Adhesive Hooks	145
Superior	Key Chain/locket	144
Superior	Table glass (Size 2'x3') Superior	143
S.fineअथवा इसके अनुरूप	Posts Stamp Register	142
Uniball	uniball i-micro pen all color	141
Ajantaअथवा इसके अनुरूप	Ajanta Quataz Golden Ring Plastic wall Clock No. 497	140
GP U'.TRAअधवा इसके अनुरूप	Cell for Remote Bell (GP ULTRA) 23AE 12V	139
Anchorअक्षया इसके अनुरूप	Remote Bell	138
S/गार्टिअववा इसक अनुरूप	voois negrei(pingie node)	157

164	(3 years warranty +03 User)	Quick Heal
165	Hard disk 2 TB	ďW
166	HP AC power Adapter for Scanner	HP.
167	HP AC power Adapter for Laptop	HP.
168	Bag For Laptop	HP
169	AC power Adapter for Telephone	BSNL
170	AC power Adapter for IP Phone	CISCO
171	Compact Disk Containers-Plastic Box	Superior
172	HP M-604 (CF281A)Toner	HP.
173	Hp Laserjet M202dw Toner	HP
174	Hp Laser Jet Pro M203dw Toner	HP
175	Kyocera TA-4501i (Photocopier) (TK 6309) Toner	Kyocera
176	Canon MF 3010 Laser Jet Cartriage	Canon
177	Hp Laserjet 1536 dnf MFP Cartriage	HP
178	Ricoh SP310dn Cartriage	Ricoh
179	Panasonic Fax KX-FP701 Cartriage Role	Panasonic Fax
180	Harrison Locks	Good Quality

जिस सामग्री का नमूना रवय निविदादाता द्वारा अंकित किया गया है. उसका नमूना आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। सामग्री की दर्शे / मॉडल / बांण्ड के नाम में Over writing नहीं करें। दरें / मॉडल / बांण्ड के नाम नपन्ट / पदनीय शब्दों में प्रस्तुत करने का श्रम करें। निविदा में जिस सामग्री का ब्रॉण्ड एवं मॉडल दिया गया है, की ही दरें प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त में मॉडल /ब्रॉण्ड का नाम अकित करते हुए नमून पेश करने होगे। बोर्ड समिति के मानाने पर निविदा में अकित ब्रॉण्ड एवं मॉडल वाली सामग्री के नमूनें भी प्रस्तुत करने होगें।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील